

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 69/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. श्रीमती कमला पत्नि भैरूलाल गुर्जर निवासी कालीमंगरी का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीया

बनाम

1. नारू पिता ऊँकार खारोल
2. रतन पिता ऊँकार खारोल
3. मु0 सोसर पत्नि लेहरू खारोल
4. कैलाश पिता लेहरू खारोल
5. भंवरसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत
6. मिठुसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत
7. मोहनसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत
8. पप्पुसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत
9. सोहनसिंह पिता शंभुसिंह राजपूत

सर्व निवासी कालीमंगरी का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

10. राजु पिता नानु दर्जी
11. लादु पिता नानु दर्जी

सर्व निवासी मेरुणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

12. प्रहलाद पिता बंशीलाल मून्दड़ा निवासी गंगपुर तहसील सहाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::


निर्णय दिनांक:- 28/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम कालीमंगरी का खेड़ा पटवार हल्का खेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1408 रकबा 0.18 हे0 1409 रकबा 0.25 हे0 1431 रकबा 0.01 हे0 1432 रकबा 0.40 हे0 1478/1624 रकबा 0.09 हे0 1479 रकबा 0.02 हे0 1480 रकबा 0.75 हे0 1489 रकबा 0.31 हे0 भूमि कुल कित्ता 08 कुल रकबा 2.01 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 19 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


उपखण्ड अधिकारी
गंगपुर जिला भीलवाड़ा

क्रमश...02


//02//

प्रकरण संख्या :- 69/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कालीमंगरी का खेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1408 रकबा 0.18 हे0 1409 रकबा 0.25 हे0 1431 रकबा 0.01 हे0 1432 रकबा 0.40 हे0 1478/1624 रकबा 0.09 हे0 1479 रकबा 0.02 हे0 1480 रकबा 0.75 हे0 1489 रकबा 0.31 हे0 भूमि कुल किता 08 कुल रकबा 2.01 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी. ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 1,050- (एक हजार पच्चास रुपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 1,050- (एक हजार पच्चास रुपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28 /06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




जिलाधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)